



कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी



KRISHI VIGYAN KENDRA, Bundi

प्रसार शिक्षा निदेशालय (कृषि विश्वविद्यालय, कोटा)

DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION (AGRICULTURE UNIVERSITY, KOTA)

पी.ओ. बॉक्स-4, श्योपुरिया की बावड़ी, नैनवा रोड, बून्दी - 323001, (राज.)

P.O. Box-4, Shyopuria Ki Bawari, Nainwa Road, Bundi - 323001, (Raj.) India

डॉ. महेश चौधरी (वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष)

Email : kykbundi@aukota.org

9829408402 (Mob.)

Dr. Mahesh Choudhary (Senior Scientist & Head)

Website : <http://bundi.kvk2.in/>

F. ()/KVK/BND/TENDER/2026/347-352

Date: 02.07.2026

खुली निविदा सूचना

कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी पर स्थित डेयरी इकाई में 20-30 पशुओं (गाय एवं उनके बछड़े/बछड़ियों) के पशु प्रबंधन कार्य के निष्पादन हेतु 01 जुलाई, 2026 से 30 जून, 2027 तक अथवा आगामी निविदा के आधार पर चयनित ठेकेदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/ठेकेदारों से सीलबंद खुली निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। कार्य की अनुमानित लागत ₹ 2.50 लाख (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) है। निविदा प्रपत्र दिनांक 02.07.2026 से कार्यालय दिवसों में कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी कार्यालय से ₹ 500/- शुल्क जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र दिनांक 10.07.2026 को प्रातः 11:00 बजे तक कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी कार्यालय में जमा किया जा सकेगा। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन दोपहर 2:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएँगी। निविदा प्रपत्र, विस्तृत नियम एवं शर्तें तथा अन्य आवश्यक जानकारी राजस्थान राज्य सार्वजनिक खरीद पोर्टल (<https://sppp.rajasthan.gov.in>) तथा कृषि विश्वविद्यालय, कोटा की वेबसाइट (<https://aukota.org>) पर उपलब्ध हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित

1. श्रीमान निदेशक प्रसार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
3. श्रीमान नोडल अधिकारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. समिति के समस्त सदस्य।
5. नोटिस बोर्ड, कृषि विज्ञान केन्द्र बून्दी/ कृषि विश्वविद्यालय कोटा

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी (राजस्थान)

(कृषि विश्वविद्यालय, कोटा)

वित्तीय निविदा (Financial Bid)

कार्य का नाम : डेयरी इकाई में 15-30 पशुओं (गाय एवं उनके बछड़े/बछड़ियों) के पशु प्रबंधन कार्य का निष्पादन।

निविदादाता का विवरण

1. निविदादाता का नाम : _____
2. पिता/पति का नाम : _____
3. पूर्ण पता : _____
4. मोबाइल नम्बर : _____
5. आधार संख्या : _____
6. पैन संख्या : _____

दर विवरण

मैं/हम, निविदा की समस्त शर्तों एवं नियमों का अध्ययन करने के उपरान्त, डेयरी इकाई में 15-30 पशुओं के पशु प्रबंधन कार्य का निष्पादन निम्नलिखित दर पर करने हेतु सहमत हूँ-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	इकाई	प्रस्तावित मासिक दर
1	डेयरी इकाई में 20-30 पशुओं (गाय एवं उनके बछड़े/बछड़ियों) का पशु प्रबंधन कार्य, निविदा की समस्त शर्तों के अनुसार	प्रति माह	₹ _____

प्रस्तावित मासिक दर (अंकों में) : ₹ _____ प्रति माह

प्रस्तावित मासिक दर (शब्दों में) : _____

घोषणा

मैं/हम घोषणा करता/करते हैं कि निविदा की समस्त शर्तें एवं नियम मुझे/हमें पूर्णतः स्वीकार हैं। उद्धृत दर में कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक समस्त व्यय, श्रम, उपकरण, कर (यदि लागू हों) तथा अन्य सभी देय व्यय सम्मिलित हैं। निविदा स्वीकृत होने पर मैं/हम नियमानुसार कार्य संपादित करने के लिए बाध्य रहूंगा/रहेंगे।

दिनांक : ____ / ____ / 20____

स्थान : _____

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम : _____

(मोबाइल नम्बर: _____)

नियम एवं शर्तें

कार्य का नाम: डेयरी इकाई में पशु प्रबंधन कार्य का निष्पादन

1. डेयरी इकाई में उपलब्ध दुधारू पशुओं का दूध प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल निर्धारित समय पर दुहना होगा। आवश्यकता होने पर अधिक दूध देने वाले पशुओं को दिन में तीन बार भी दुहना होगा।
2. पशुशाला, नांद, दुग्ध दुहन स्थल, नालियों एवं डेयरी परिसर की नियमित साफ-सफाई बनाए रखना अनिवार्य होगा।
3. पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन हेतु आवश्यक कृषि कार्य (जुताई, बुवाई, सिंचाई आदि), चारा काटना, कुट्टी करना तथा निर्धारित मात्रा में पशुओं को खिलाने का कार्य करना होगा। आवश्यकता अनुसार पशुओं को चराने की व्यवस्था भी करनी होगी।
4. पशुओं के लिए दलिया एवं अन्य पशु आहार तैयार करना, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना तथा आवश्यकतानुसार पशुओं को नहलाना होगा।
5. दुग्ध दुहन के पश्चात दूध का मापन कर अधिकृत व्यक्तियों को वितरण करना होगा तथा दुग्ध उत्पादन एवं वितरण का दैनिक अभिलेख संधारित करना होगा।
6. पशुशाला, बाड़े एवं आसपास के परिसर की स्वच्छता बनाए रखना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
7. निविदादाता को डेयरी एवं पशुपालन कार्य का अनुभव होना चाहिए। पशुओं के गर्भाधान, गर्भावस्था, ब्याने तथा अन्य आवश्यक विवरणों का अभिलेख संधारित करना होगा।
8. पशुओं का गोबर एवं अन्य अपशिष्ट प्रतिदिन उठाकर डेयरी प्रभारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना होगा।
9. पशुओं के डीवर्मिंग, टीकाकरण, उपचार, खुर-सींग की देखभाल तथा पशु चिकित्सक द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों में आवश्यक सहयोग करना होगा।
10. बिना पूर्व अनुमति डेयरी से दूध अथवा अन्य सामग्री किसी भी व्यक्ति को देना प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक होने पर केन्द्र से बाहर जाने से पूर्व डेयरी प्रभारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
11. खल, चूरी, बांटा एवं अन्य पशु आहार की आवश्यकता कम से कम 10-15 दिन पूर्व डेयरी प्रभारी को सूचित करनी होगी, ताकि समय पर व्यवस्था की जा सके।
12. डेयरी की किसी भी सामग्री, उपकरण, पशु आहार अथवा अन्य संसाधनों का निजी उपयोग अथवा परिसर से बाहर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
13. पशुओं की देखभाल, चारा-पानी, दुग्ध दुहन एवं साफ-सफाई का कार्य प्रतिदिन समय पर करना अनिवार्य होगा। किसी कारणवश अनुपस्थित रहने की स्थिति में कार्य की वैकल्पिक व्यवस्था करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
14. डेयरी परिसर में धूमपान, मद्यपान अथवा अन्य किसी प्रकार का नशा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पशुओं की सुरक्षा एवं समुचित देखभाल सुनिश्चित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
15. डेयरी प्रभारी द्वारा समय-समय पर दिए गए कार्य संबंधी निर्देशों का पालन करना होगा। कार्य का भुगतान नियमानुसार एवं कार्य के सत्यापन उपरांत किया जाएगा।
16. कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने अथवा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुबंध नियमानुसार निरस्त किया जा सकेगा।
17. कार्य के दौरान नियुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों से संबंधित लागू श्रम कानूनों एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के पालन की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
18. ठेकेदार अपने नाम स्वीकृत कार्य को बिना पूर्व लिखित अनुमति किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित अथवा उपठेके (Sub-contract) पर नहीं देगा। ठेकेदार को पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। भुगतान नियमानुसार बैंक खाते में किया जाएगा।
19. जिन विषयों का उल्लेख इन नियम एवं शर्तों में नहीं किया गया है, उन पर राजस्थान पारदर्शी लोक खरीद अधिनियम, 2012, राजस्थान पारदर्शी लोक खरीद नियम, 2013 तथा कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के प्रचलित नियम लागू होंगे।

घोषणा

मैं/हम प्रमाणित करता/करते हैं कि उपर्युक्त सभी नियम एवं शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है तथा उन्हें पूर्णतः स्वीकार करता/करते हैं।

दिनांक : ___ / ___ / 20___

स्थान : _____

निविदादाता के हस्ताक्षर : _____

नाम : _____